दिनांक **28.04.2026**
प्रेस विज्ञप्ति **231/2026**

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की गोण्डा इकाई द्वारा की गयी ट्रैप की कार्रवाई

मा० मुख्यमंत्री उ0प्र0, **श्री योगी आदित्यनाथ जी** द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध **"जीरो टॉलरेंस"** की नीति तथा पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, **श्री राजीव कृष्ण** के सख्त निर्देशों के अनुपालन में भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 द्वारा निरंतर प्रभावी एवं कठोर कार्रवाई की जा रही है।

उक्त निर्देशों के क्रम में आज दिनांक 28.04.2026 को **भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की गोण्डा इकाई** द्वारा अवधेश कुमार निवासी ग्राम दौलतपुर थाना मोतीपुर जनपद बहराइच से विवेचना से नाम निकालने व जेल न भेजने के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक श्री धनंजय कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना मोतीपुर मेन गेट के पास स्थित चाय की दुकान से **उ0नि0 सुरेशचन्द्र गिरि (थाना मोतीपुर बहराइच)** पुत्र रामाश्रय गिरि निवासी हरिहरपुर थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर को **10 हजार रूपये रिश्वत** लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

दिनांक 28.04.2026
प्रेस विज्ञप्ति 232/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

<u>जनपद मुजफ्फरनगर/थाना बुढाना</u>

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 05 लाख 40 हजार रूपये नगद**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) आदि बरामद**

दिनांक 28.04.2026 को थाना बुढाना व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर क्राउन पब्लिक स्कूल के पास मंदवाडा की ओर जाने वाले रास्ते पर चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–शकील उर्फ घोडा घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2–शाहिब सहित गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 05 लाख 40 हजार रूपये नगद, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) आदि बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 22.04.2026 को थाना बुढाना क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बुढाना पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना बुढाना पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–शकील उर्फ घोडा निवासी इब्राहिम मस्जिद के पास पठानपुरा कस्बा व थाना मंगलौर जनपद हरिद्वार, स्थाईपता पीर वाली गली मिमलाना रोड थाना कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फरनगर।

2–शाहिब निवासी ग्राम सिखरेडा थाना सिखेडा जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामदगी

1–चोरी के 05 लाख 40 हजार रूपये नगद।

2–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

3–01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) आदि।

जनपद इटावा/थाना वैदपुरा

- **पुलिस कार्यवाही में अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **25 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध तमंचा विभिन्न बोर**
- **35 जीवित, 04 खोखा कारतूस विभिन्न बोर**
- **03 मोबाइल फोन**
- **भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनांक 27/28.04.2026 को थाना वैदपुरा, थाना बसरेहर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम महोला से ग्राम रामेत जाने वाले रास्ते पर ट्यूबेल के पास अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे बदमाशों की घेराबन्दी की गई तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–अमित कुमार उर्फ नित्ता घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2–सोनू कुमार 3–अंशू 4–भूपसिंह सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 25 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 35 जीवित, 04 खोखा कारतूस विभिन्न बोर, 03 मोबाइल फोन, भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

इस सम्बन्ध में थाना वैदपुरा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अमित कुमार उर्फ नित्ता निवासी ग्राम व थाना वैदपुरा जनपद इटावा।

2—सोनू कुमार निवासी चकवा बुजुर्ग थाना बसरेहर जनपद इटावा।

3—अंशू निवासी चकवा बुजुर्ग थाना बसरेहर जनपद इटावा।

4—भूपसिंह निवासी अधियापुरा थाना वैदपुरा जनपद इटावा।

बरामदगी

1—25 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध तमंचा विभिन्न बोर।

2—35 जीवित, 04 खोखा कारतूस विभिन्न बोर।

3—03 मोबाइल फोन।

4—भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

जनपद मेरठ/थाना मवाना

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **08 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर**
- **38 जीवित, 05 खोखा कारतूस विभिन्न बोर**
- **06 मोबाइल फोन**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 28.04.2026 को थाना मवाना पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्रान्तर्गत चेकिंग के दौरान अभियुक्त मुजम्मिल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 08 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर (01 अवैध पिस्टल, 07 अवैध तमंचा विभिन्न बोर), 38 जीवित, 05 खोखा कारतूस विभिन्न बोर, 06 मोबाइल फोन, 01 मोटर साइकिल बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना मवाना पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—मुजम्मिल निवासी ग्राम बिसौला थाना इंचौली जनपद मेरठ।

बरामदगी

1—08 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर (01 अवैध पिस्टल, 07 अवैध तमंचा विभिन्न बोर)।

2—38 जीवित, 05 खोखा कारतूस विभिन्न बोर।

3—06 मोबाइल फोन।

4—01 मोटर साइकिल।

जनपद चन्दौली/थाना अलीनगर

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 01 करोड़ 65 लाख रूपये कीमत के 932 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब**
- **01 ट्रक बरामद**

दिनांक 28.04.2026 को थाना अलीनगर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टिम द्वारा सूचना के आधार पर सिंधीताली पुल के पास चेकिंग के दौरान अभियुक्त जगदीश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 01 करोड़ 65 लाख रूपये कीमत के 932 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब, 01 ट्रक बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना अलीनगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—जगदीश निवासी श्रीनाथ कॉलोनी थाना नाथद्वारा जनपद राजसमन्द राजस्थान।

बरामदगी

1—लगभग 01 करोड़ 65 लाख रूपये कीमत के 932 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब।

2—01 ट्रक।

- **जनपद मुजफ्फरनगर/ थाना भौराकलां (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय द्वारा 04 अभियुक्तों को मृत्युदण्ड की सजा व 50—50 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा थाना भौराकलां पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/149

/147/148/336/504 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–प्रदीप 2–संदीप 3–सोनू 4–अभियुक्ता को मृत्युदण्ड व 50–50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद उन्नाव/ थाना बारासगवर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद उन्नाव पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय जनपद उन्नाव द्वारा थाना बारासगवर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त विजय बहादुर को आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>कमिश्नरेट गाजियाबाद/ थाना नन्दग्राम (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय गाजियाबाद द्वारा थाना नन्दग्राम पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त दिवाकर को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————